संख्या-24/2015/ 767 सी0डी0/46-3-15-1000(68)/2014

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष **2015-16** में अनुदान संख्या-**23** के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष **2015-16** में, अनुदान संख्या-**23** (आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय को वहन करने हेतु लेखाशीर्षक-**2401**, फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 **1,68,43,86,000/- मतदेय (एक अरब अड़सठ करोड़ तैंतालिस लाख छियासी हजार मात्र)** तथा रू0 **2,00,000/-** भारित (दो लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 **1,68,45,86,000 (रू0 एक अरब अड़सठ करोड़ पैतालिस लाख छियासी हजार मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति सहित आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015** में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही विभिन्न लेखाशीर्षकों/मदों की उक्त धनराशि का आवंटन एवं आवंटित एवं वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं वित्त विभाग एवं महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद को नियमित रूप से उपलब्ध कराने तथा लेखाओं का नियमित/त्रैमासिक मिलान महालेखाकार, इलाहाबाद से अवश्य कराया जाय। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व विभागीय वित्त नियंत्रक का होगा।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये, ताकि अपव्यय को रोका जा सके । ---------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन व वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

6- उक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। गन्ना आयुक्त अनुदान/भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार करेंगे और जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिये समान रूप से की जाय।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-23(आयोजनेत्तर) के अधीन लेखा शीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म 001- निदेशन तथा प्रशासन 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान के संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-24/2015/ 767(1) **सी0डी0 /46-3-15-1000(68)/2014** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-24/2015/ 767सी0डी0 /46-3-15-1000(68)/2014, दिनांक: 06 अप्रैल 2015 का

संलग्नक

अनुदान संख्या 23 (आयोजनेत्तर) **चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग**

क्रमांक	लेखा शीर्षक	स्वीकृत धनराशि (धनराशि हजार रूपये में)
	2401-फसल कृषि कर्म **001-निदेशन तथा प्रशासन** **03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान**	
1	01-वेतन	39898
2	02-मजदूरी	125
3	03-महँगाई भत्ता	47878
4	04-यात्रा व्यय	700
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150
6	06-अन्य भत्ते	4635
7	07-मानदेय	35
8	08-कार्यालय व्यय	1600
9	09-विद्युत देय	3600
10	10-जलकर /जलप्रभार	35
11	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	400
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
13	13-टेलीफोन पर व्यय	500
14	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
15	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	800
16	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	500
17	अनुरक्षण	300
18	42-अन्य व्यय (मतदेय)	--
19	42-अन्य व्यय(भारित)	200
20	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	150
21	45-अवकाश यात्रा व्यय	100
22	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	500
23	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	400
24	49-चिकित्सा व्यय	2500
25	51-वर्दी व्यय	88
	योगः 001/03 मतदेय **भारित**	**105394** **200**
	2401-फसल कृषि कर्म	**स्वीकृत धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	001-निदेशन तथा प्रशासन 04-क्षेत्रीय कार्यालय	(धनराशि हजार रूपये में)
1	01-वेतन	1582
2	03-महँगाई भत्ता	1898
3	04-यात्रा व्यय	144
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
5	06-अन्य भत्ते	156
6	07-मानदेय	10
7	08-कार्यालय व्यय	42
8	09-विद्युत देय	98
9	10-जलकर /जलप्रभार	2
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	12
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20
12	13-टेलीफोन पर व्यय	30
13	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	100
14	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	14
15	45-अवकाश यात्रा व्यय	40
16	49-चिकित्सा व्यय	44
17	51-वर्दी व्यय	6
	योगः 001/04 मतदेय	**4218**
	2401-फसल कृषि कर्म 108-वाणिज्यिक फसले 03-गन्ना आयुक्त (पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग)	**स्वीकृत धनराशि (धनराशि हजार रूपये में)**
1	01-वेतन	359973
2	03-महँगाई भत्ता	431968
3	04-यात्रा व्यय	720
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	350
5	06-अन्य भत्ते	19978
6	07-मानदेय	40
7	08-कार्यालय व्यय	286
8	09-विद्युत देय	286
9	10-जलकर /जलप्रभार	10
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	137
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125
12	13-टेलीफोन पर व्यय	95
13	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1000

http://shasanadesh.up.nic.in

14	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	200
15	45-अवकाश यात्रा व्यय	100
16	49-चिकित्सा व्यय	1950
17	51-वर्दी व्यय	40
	योगः 108/03 मतदेय	**817258**
	2401-फसल कृषि कर्म **108-वाणिज्यिक फसलें** **04-गन्ने की खेती के विकास तथा उसका प्रगाढीकरण**	**स्वीकृत धनराशि** **(धनराशि हजार रूपये में)**
1	01-वेतन	326033
2	03-महँगाई भत्ता	391240
3	04-यात्रा व्यय	1440
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	285
5	06-अन्य भत्ते	25000
6	07-मानदेय	30
7	08-कार्यालय व्यय	750
8	09-विद्युत देय	700
9	10-जलकर /जलप्रभार	13
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	300
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500
12	13-टेलीफोन पर व्यय	300
13	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्ोल आदि की खरीद	400
14	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	200
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2200
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	577
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	150
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का	520
20	49-चिकित्सा व्यय	2200
21	51-वर्दी व्यय	90
	योग- 108/04 मतदेय	**753428**
	2401-फसल कृषि कर्म **111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी** **03-गन्ना उत्पादन कार्यक्रम के कार्यो एवं उसके आघातों का अध्ययन**	**स्वीकृत धनराशि** **(धनराशि हजार रूपये में)**
1	01-वेतन	1700

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	03-महँगाई भत्ता	2040
3	04-यात्रा व्यय	22
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
5	06-अन्य भत्ते	263
6	07-मानदेय	3
7	08-कार्यालय व्यय	10
8	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10
10	45-अवकाश यात्रा व्यय	10
11	49-चिकित्सा व्यय	10
12	51-वर्दी व्यय	02
	योगः 111/03 मतदेय	**4088**
	योगः2401- मतदेय **भारित**	**1684386** **200**

मतदेय- (रूपया एक अरब अरसठ करोड़ तेतालिस लाख छियासी हजार मात्र)
भारित- (रूपया दो लाख मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।